



“ कृषि आय का भारतीय अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक अध्ययन ”

डॉ.चन्द्रकला अरमोती¹ , डॉ.राजू रैदास²

¹सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), पंक्ति एस.एन शुक्ल विश्वविद्यालय ,शहडोल (म०प्र०) भारत.

²शोधार्थी - डी-लिट (वाणिज्य), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०) भारत

परिचय - Introduction :-

भारत में आयकर का संक्षिप्त इतिहास :-

भारत में कर का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। महाकवि कालीदास ने मेघदूत में राजा दलीप के संदर्भ में लिखा है कि जिस प्रकार से सूर्य जमीन से नमी सोखकर इसे कई हजार गुना करके वापस कर देता है उसी प्रकार से राजा अपनी प्रजा से करों की वसूली करके इसे प्रजा के ही कार्यों में लगा देता है। कौटिल्य के इतिहास में भी सार्वजनिक वित्त तथा कराधान प्रणाली को पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है। अकबर काल में टोडरमल के राजस्व व भू सुधार सम्बन्धी अभिलेखों में कराधान को स्थान दिया गया है।

वर्तमान आयकर प्रणाली का अध्ययन करने के लिए इसे दो कालखण्डों में बाँटा जा सकता है-



1. **स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व का काल :-** भारत में प्रथम बार आयकर सन् 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रिटिश काल में लगाया गया। इसमें 1863, 1867, 1873 तथा 1880 में विभिन्न संशोधन किये गये। इसके बाद एक नया आयकर अधिनियम 1886 में लाया गया। इस अधिनियम में भी अनेक बाद संशोधन किये जाते रहे। विभिन्न राजनीतिक व वित्तीय संकटों को दृष्टिगत रखते हुए तथा राष्ट्रीय महत्व के अनेक विषयों को समाहित करते हुए सन् 1918 में आयकर अधिनियम 1918 लागू किया गया। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद चरमराई स्थिति को संभालने के लिए इसमें परिवर्तन अपरिहार्य थे। सन् 1918 के आयकर अधिनियम को भी शीघ्र ही नया स्वरूप देते हुए आयकर अधिनियम 1922 लागू किया गया जो कि कतिपय संशोधनों के साथ स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक भारत में लागू रहा।
2. **स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद का काल :-** 15 अगस्त 1947 को देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी समय- समय पर गठित अनेकों समितियों के द्वारा दिये गये सुधारों के आधार पर आयकर सुधारों का सिलसिला जारी रहा। स्वतन्त्र भारत में प्रथम बार आयकर अधिनियम 1961 पारित किया गया जोकि 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है। आयकर अधिनियम 1961 के बाद भी आयकर नियमों, वित्त अधिनियम, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड व केन्द्र सरकार के निर्देशों के माध्यम से समय- समय पर अनेक सुधारों का क्रम जारी रहा। विभिन्न न्यायालयों के फैसलों ने भी इसमें सुधारों का

मार्ग प्रशस्त किया। सन् 1987 में विभिन्न वार्षिक प्रणालियों के स्थान पर एक वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च अपनाये जाने का फैसला लिया गया। सन् 1990 में सिविकम को भी आयकर के दायरे में सम्मिलित कर लिया गया।

आयकर के सम्बन्ध में अध्ययन करने से पहले कर के सम्बन्ध में जानना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की गतिविधि, आय अथवा उत्पादन पर सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली राशि को कर कहते हैं। कर सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी सुविधा से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं होता है, यद्यपि इसका प्रयोग जनोपयोगी कार्यों में किया जाता है। कर दो प्रकार के होते हैं :-

1. **प्रत्यक्ष कर :-** इन करों को प्रत्यक्ष रूप से किसी आय अथवा सम्पत्ति के आधार पर वसूल किया जाता है। जैसे- आयकर, सम्पत्ति कर, निगम कर, उपहार कर आदि।
2. **अप्रत्यक्ष कर :-** इन करों को वस्तुओं अथवा सेवाओं में मूल्य के आधार पर वसूला जाता है, जैसे- वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क आदि।

प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है वही उसका भार भी वहन करता है किन्तु अप्रत्यक्ष कर को जिस व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है वह कर का भार अन्य व्यक्ति के ऊपर डाल सकता है। उदाहरण के लिए- वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान किसी बिक्री पर विक्रेता या सेवा प्रदाता के द्वारा सरकार को किया जाता है किन्तु इसकी राशि बिल में जोड़ दी जाती है तथा क्रेता या उपभोक्ता द्वारा इसका वास्तविक भुगतान किया जाता है अर्थात् कर का भार विक्रेता द्वारा क्रेता को अन्तरित कर दिया जाता है। इस प्रकार उपभोक्ता या क्रेता अप्रत्यक्ष रूप से कर का भुगतान करता है।

आयकर के उद्देश्य :-

आयकर लगाये जाने के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं :-

1. **सरकार की आय का श्रोत :-** किसी भी देश में उसके व्ययों की पूर्ति, लोक कल्याण के कार्यों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वृहद मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। कर सरकार की आय का सबसे बड़ा श्रोत होता है। सरकार की करों से आय में आयकर का एक बड़ा भाग होता है।
2. **राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति :-** देश की सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए आयकर का सहारा लेती है। यथा- प्रारम्भिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष उपकर लगाया गया है। पूर्व में करगिल युद्ध के समय भी इसी प्रकार धन उपलब्ध कराया गया था।
3. **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना :-** सरकार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपायों को अपनाती है। आयकर की इन उपायों में विशेष भूमिका है। जिस क्षेत्र विशेष को प्रोत्साहित करना होता है, वहाँ कर में रियायतों की घोषणा कर दी जाती है। जैसे- विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र, निर्यात सम्बन्धी उद्योग आदि।
4. **बचत व निवेश को नियन्त्रित करना :-** बचत एवं निवेश दो ऐसे यन्त्र हैं जिनके द्वारा देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को नियन्त्रित किया जा सकता है। सरकार अपनी आयकर नीति के द्वारा इन यन्त्रों को इस प्रकार संचालित करती है कि उसे व्यक्तिगत बचतों को प्रोत्साहित करने तथा उसे सुनियोजित स्थान पर निवेशित कराने में सफलता प्राप्त हो जाती है। मुद्रा स्फीति की दशा में बचतों को प्रोत्साहन दिया जाता है जबकि संकुचन की दशा में अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा दिया जाता है।
5. **घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन :-** सरकार जिन उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहती है उन पर आयकर के अन्तर्गत विशेष रियायतें उपलब्ध कराती है। कुछ क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी आकर्षित करने हेतु आयकर का प्रयोग किया जाता है।
6. **सामाजिक विषमताओं को कम करना :-** भारत में आयकर की दर प्रगतिगामी रखी गई है। इस व्यवस्था में धनवानों को अधिक कर चुकाना होता है तथा कम धनवानों को अपेक्षाकृत कम कर। निर्धन वर्ग को आयकर से मुक्त रखा गया है। अर्जित आयकर का प्रयोग

निर्धनतम वर्ग के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। आयकर का क्रम अमीर से गरीब की ओर तथा सुविधाओं का क्रम गरीब से अमीर की ओर रखा जाता है। इससे धनवानों के धन को निर्धन वर्ग से जोड़कर सामाजिक विशमताओं को कम किया जाता है।

7. **पूँजी निर्माण :-** आयकर के द्वारा जनता को बचत की अनेक योजनाओं में धन निवेशित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बचत की यह सूक्ष्म राशि सामूहिक स्तर पर डाकघर, सरकारी बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा अन्य संस्थाओं के पास एकत्रित हो जाता है जो वृहद निवेश हेतु पूँजी निर्माण करती है। संस्थाओं द्वारा इसका प्रयोग औद्योगिक व व्यापारिक संस्थाओं को प्रारम्भ करने अथवा उन्हें मजबूत करने के लिए किया जाता है।
8. **मूल्य स्थिरता :-** सरकार अर्थव्यवस्था में मूल्यों की स्थिरता लाने के उद्देश्य से भी आयकर को प्रयोग करती है। व्यक्तिगत स्तर पर उपभोग, बचत व निवेश को प्रभावित करने में आयकर की विषिष्ट भूमिका होती है। व्यक्तिगत स्तर का यह प्रभाव वृहद स्तर पर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है।

आयकर के सिद्धान्त :-

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के अनुसार कराधान के चार सिद्धान्त होते हैं। उक्त सिद्धान्त आयकर पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

1. **समानता का सिद्धान्त :-** समानता से आशय कर की समान धनराशि से न होकर समान भार से माना गया है। इसीलिए कर निर्धारण में धनिकों से अधिक तथा कम धनवानों से कम आयकर लिया जाता है। व्यक्तियों की करदान क्षमता के आधार पर ही कर का निर्धारण किया जाता है। इसप्रकार समानता का सिद्धान्त कर के माध्यम से समाज में समानता लाने का पक्षधर है।
2. **सुनिश्चितता का सिद्धान्त :-** इस सिद्धान्त के अनुसार करदाता को उसकी करदेयता के सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी का होना आवश्यक है। कर निर्धारण का तरीका सरल, स्पष्ट तथा सुनिश्चित होना चाहिए। करदाता को वर्ष के प्रारम्भ में ही अपनी आय के आधार पर कर गणना का आधार, दर, भुगतान की तिथि आदि की जानकारी होनी चाहिए।
3. **सुविधा का सिद्धान्त :-** सुविधा का सिद्धान्त एक प्रकार से सुनिश्चितता के सिद्धान्त का ही विस्तार है। इसमें यह अपेक्षा की जाती है करदाता को कर का भुगतान करने में जितनी आसानी होगी उतना ही कम कष्ट उसे करभार का होगा। श्रोत पर कर की कटौती इस दृष्टि से कर भुगतान को आसान बनाती है। कर के नकद भुगतान की अपेक्षा वेतन से कटौती करदाता को सुविधाजनक प्रतीत होती है।
4. **मितव्ययिता का सिद्धान्त :-** कर के एकत्रीकरण में अनावश्यक धन का अपव्यय नहीं होना चाहिए। एकत्रीकरण में जितनी कम राशि व्यय होगी, वह एक प्रकार से कर की राशि में ही वृद्धि करेगी। दूसरे शब्दों में वसूली का व्यय जितना अधिक होगा कर का शुद्ध एकत्रीकरण उतना ही कम होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त कर के सम्बन्ध में सरलता का सिद्धान्त, उत्पादकता का सिद्धान्त, लोचशीलता का सिद्धान्त, विविधता का सिद्धान्त आदि भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

आयकर की प्रमुख विशेषताएं :-

आयकर की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

1. **प्रत्यक्ष कर :-** आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। यह करदाता की आय पर परिगणित किया जाता है तथा उसी के द्वारा चुकाया जाता है। आयकर के बोझ को करदाता द्वारा किसी अन्य पर नहीं डाला जा सकता है।

2. **केन्द्रीय कर :-** करदाता द्वारा आयकर का भुगतान केन्द्र सरकार को करना होता है। इसकी गणना के नियम व परिनियम केन्द्र सरकार द्वारा बनाये जाते हैं तथा केन्द्र सरकार के आयकर विभाग के अधिकारी ही कर निर्धारण व वसूली आदि की कार्यवाही करते हैं।
3. **शुद्ध करयोग्य आय के आधार पर गणना :-** आयकर की गणना शुद्ध करयोग्य आय पर की जाती है। इसके लिए विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने वाली आयों की पृथक गणना की जाती है तथा प्रत्येक के लिए निर्धारित नियमों के आधार पर आय ज्ञात कर कुल आय तथा तत्पश्चात निर्धारित छूट प्रदान करते हुए शुद्ध करयोग्य आय की गणना की जाती है। इसे कुल आय भी कहा जाता है। सकल आय में से धारा 80 सी से लेकर 80यू तक की कटौतियों को घटाने के बाद इसे ज्ञात किया जाता है।
4. **गतवर्ष की आय के आधार पर गणना :-** किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आय की गणना गतवर्ष की आय के आधार पर की जाती है। गतवर्ष से आशय 12 माह की उस अवधि से होता है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व होती है। यह वो अवधि होती है जिसमें आय को अर्जित अथवा प्राप्त किया गया होता है। इसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है।
5. **आय के विभिन्न श्रोतों पर कर की गणना :-** आयकर की गणना के लिए आय के पाँच श्रोत निर्धारित किये गये हैं, 1. वेतन से आय, 2. मकान सम्पत्ति से आय, 3. व्यवसाय अथवा पेशे से आय, 4. पूँजी लाभ तथा 5. अन्य श्रोतों से आय। वेतन से आय के अन्तर्गत सभी प्रकार के वेतन भोगियों को उनके नियोक्ता से प्राप्त वेतन, भत्ते, अनुलाभ व सुविधाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके अवकाश प्राप्ति, मृत्यु, छूटनी आदि अवस्था में पेंशन, अनुग्रह राशि व अन्य भुगतानों को भी सम्मिलित किया जाता है। मकान सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत मकान के किराये से प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जाता है चाहे यह किराया आवासीय भवन से हो अथवा व्यावसायिक भवन से। व्यवसाय व पेशे से आय की श्रेणी में सभी प्रकार की व्यापारिक व निर्माणी इकाइयों तथा पेशों (अधिवक्ता, सनदी लेखाकार, चिकित्सक आदि) की आय को सम्मिलित किया जाता है, पूँजी आय के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के मूल्य में होने वाली अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन वृद्धि से होने वाले लाभों को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त चार श्रोतों के अतिरिक्त किसी भी अन्य मद से होने वाली आय को अन्य श्रोतों से आय की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी में लाभांश, प्रतिभूतियों व बैंक खातों पर होने वाली ब्याज की आय, सम्पत्तियों को किराये पर देने की आय, उप किराया आय के अतिरिक्त लाटरी आदि से होने वाली आकस्मिक आय आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। सांसदों व विधायकों के वेतन तथा अधोशित आय को भी अन्य श्रोतों की आय माना जाता है। उपरोक्त समस्त आयों तथा उन पर आयकर की गणना का विस्तृत विवरण आगामी अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है।
6. **व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि के लिए आयकर की पृथक गणना :-** आयकर की गणना के लिए व्यक्ति शब्द के अन्तर्गत किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों के समूह, स्थानीय सत्ता तथा विधि द्वारा सृजित कृत्रिम व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। आयकर की गणना के लिए व्यक्तियों, व्यावसायिक संस्थाओं व पेशेवरों तथा कम्पनी के लिए पृथक प्रावधान किये गये हैं तथा उन्हीं के आधार पर उन्हें कतिपय छूट भी प्रदान की गई हैं अतः आयकर की गणना उनकी प्रास्थिति के आधार पर ही की जाती है।
7. **कर की दरों में आय, आयु, लिंग के आधार पर भिन्नता :-** भारतीय आयकर नियमों में आयकर का निर्धारण करने के लिए भिन्न वर्गों के लिए भिन्न दर निर्धारित की गई हैं। आयकर को इसप्रकार खण्डों में बाँटा गया है कि व्यक्तिगत करदाताओं तथा व्यावसायिक करदाताओं के लिए कर की दरों में भिन्नता रखी गई है। व्यक्तिगत आयकर दाताओं में अधिक आय वाले निर्धारिती को कर का भार अधिक सहना होता है। इसे प्रगतिशील कर की दर के रूप में जाना जाता है। वयोवृद्ध निर्धारिती के लिए कर की दर में रियायत दी गई

है। महिला करदाताओं को भी पूर्व में कर की दरों में कमी की गई थी जो वर्तमान में समाप्त कर दी गई है।

प्रमुख अवधारणाएं :- गतवर्ष, कर निर्धारण वर्ष, व्यक्ति, करदाता :-

आयकर का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है :-

- 1. कर निर्धारण वर्ष :-** आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(9) के अनुसार कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ तथा 31 मार्च को पूर्ण होने वाली 12 माह की अवधि होती है। आयकर विभाग द्वारा जिस वर्ष में आयकर की गणना की जाती है वह कर निर्धारण वर्ष होता है। किसी कर निर्धारण वर्ष में उससे ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात् गतवर्ष की आय पर कर का निर्धारण किया जाता है।
- 2. गतवर्ष :-** किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आयकर का निर्धारण गतवर्ष की आय के आधार पर किया जाता है। गतवर्ष से आशय 12 माह की उस अवधि से है जिसमें आय को अर्जित अथवा प्राप्त किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च तक को पूर्ण होता है। कर निर्धारण वर्ष से तुरन्त पूर्व की 12 माह की अवधि को गतवर्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए गतवर्ष 2017-18 (1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018) होगा।
- 3. व्यक्ति-आयकर अधिनियम की धारा 2(31) के अनुसार व्यक्ति में निम्न को सम्मिलित किया जाता है :-** व्यक्ति (अभय कुमार, मनस्वी पाठक आदि), हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी (भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित), फर्म (साझेदारी), व्यक्तियों का समूह (सहकारी समूह - नाफेड), स्थानीय निकाय (नगर पंचायत, नगर महापालिका, जिला परिशद, कैप्टोनमेन्ट बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट आदि), कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति (विश्वविद्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि)। इसप्रकार आयकर की दृष्टि में वे सभी जीवित (पुरुष, स्त्री, अवयस्क आदि) व कृत्रिम इकाइयाँ (फर्म, कम्पनी, सहकारी संस्था आदि) व्यक्ति की श्रेणी में सम्मिलित हैं जो आय अर्जित करते हैं।
- 4. कर निर्धारिती :-** वह व्यक्ति जिसकी आय पर कर का निर्धारण किया जाता है, कर निर्धारण की प्रक्रिया की जाती है, आयकर पर ब्याज अथवा दण्ड का निर्धारण किया जाता है, उसे कर निर्धारिती कहते हैं। कर निर्धारण के माने गये अर्थात् डीमड निर्धारिती को भी निर्धारिती की श्रेणी में रखा जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2006-07 से अतिरिक्त लाभ (फ़िंज बेनिफिट) के निर्धारण से सम्बन्धित निर्धारिती की भी इस श्रेणी में रखा जाने लगा है। किसी अन्य व्यक्ति की आय पर आयकर देने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी डीमड एसेसी या माने गये कर निर्धारिती कहलाते हैं।

सारांश :-

आयकर एक प्रत्यक्ष कर है करदाता द्वारा आयकर का भुगतान केन्द्र सरकार को करना होता है। आयकर की गणना शुद्ध करयोग्य आय पर की जाती है। इसके लिए विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने वाली आयों की पृथक गणना की जाती है तथा प्रत्येक के लिए निर्धारित नियमों के आधार पर आय ज्ञात कर कुल आय तथा तत्पश्चात निर्धारित छूट प्रदान करते हुए शुद्ध करयोग्य आय की गणना की जाती है। इसे कुल आय भी कहा जाता है। सकल आय में से धारा 80सी से लेकर 80यू तक की कटौतियों को घटाने के बाद इसे ज्ञात किया जाता है। किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए आय की गणना गतवर्ष की आय के आधार पर की जाती है। गतवर्ष से आशय 12 माह की उस अवधि से होता है जो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व होती है। यह वो अवधि होती है जिसमें आय को अर्जित अथवा प्राप्त किया गया होता है। इसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। आयकर की गणना के लिए आय के पाँच श्रोत निर्धारित किये गये हैं। ये हैं - 1. वेतन से आय, 2. मकान सम्पत्ति से आय, 3. व्यवसाय अथवा पेशे से आय, 4.

पूँजी लाभ तथा 5. अन्य श्रोतों से आय। वेतन से आय के अन्तर्गत सभी प्रकार के वेतन भोगियों को उनके नियोक्ता से प्राप्त वेतन, भत्ते, अनुलाभ व सुविधाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त उनके अवकाश प्राप्ति, मृत्यु, छुट्टी आदि अवस्था में पेंशन, अनुग्रह राशि व अन्य भुगतानों को भी सम्मिलित किया जाता है। मकान सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत मकान के किराये से प्राप्त राशि को सम्मिलित किया जाता है चाहे यह किराया आवासीय भवन से हो अथवा व्यावसायिक भवन से। व्यवसाय व पेशे से आय की श्रेणी में सभी प्रकार की व्यापारिक व निर्माणी इकाइयों तथा पेशे (अधिवक्ता, सनदी लेखाकार, चिकित्सक आदि) की आय को सम्मिलित किया जाता है। पूँजी आय के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के मूल्य में होने वाली अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन वृद्धि से होने वाले लाभों को सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त चार श्रोतों के अतिरिक्त किसी भी अन्य मद से होने वाली आय को अन्य श्रोतों से आय की श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी में लाभांश, प्रतिभूतियों व बैंक खातों पर होने वाली ब्याज की आय, सम्पत्तियों को किराये पर देने की आय, उप किराया आय के अतिरिक्त लाटरी आदि से होने वाली आकस्मिक आय आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। सांषदों व विधायकों के वेतन तथा अधोशित आय को भी अन्य श्रोतों की आय माना जाता है। भारतीय आयकर नियमों में आयकर का निर्धारण करने के लिए भिन्न वर्गों के लिए भिन्न दर निर्धारित की गई हैं। आयकर को इसप्रकार खण्डों में बाँटा गया है कि व्यक्तिगत करदाताओं तथा व्यावसायिक करदाताओं के लिए कर की दरों में भिन्नता रखी गई है। व्यक्तिगत आयकर दाताओं में अधिक आय वाले निर्धारिती को कर का भार अधिक सहना होता है। इसे प्रगतिशील कर की दर के रूप में जाना जाता है। वयोवृद्ध निर्धारिती के लिए कर की दर में रियायत दी गई है। भारत में कर का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। प्राचीन ग्रंथों में भी राजाओं द्वारा आयकर वसूले जाने का उल्लेख मिलता है। भारत में आधुनिक रूप में आयकर प्रथम बार सन् 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रिटिश काल में लगाया गया। इस अधिनियम की नियमित समीक्षा की जाती है तथा प्रत्येक वर्ष इसमें आवश्यकतानुसार आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। सन् 1860 के बाद एक नया आयकर अधिनियम 1886 में लाया गया। तत्पश्चात सन् 1918 में आयकर अधिनियम को नया स्वरूप दिया गया। पुनः सम्यक परिवर्तनों के साथ आयकर अधिनियम 1922 लागू किया गया जो कि कतिपय संशोधनों के साथ स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक भारत में लागू रहा।

स्वतन्त्र भारत में प्रथम बार आयकर अधिनियम 1961 पारित किया गया जोकि 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में लागू है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. आयकर डॉ० एच०सी०मेहरोत्रा, साहित्य भवन, आगरा।
2. आयकर नियोजन एवं प्रबन्ध, डॉ०आर०के०जैन,एस०बी०पी०डी०पब्लिशर्स, आगरा।
3. Income Tax VK Singhania, Taxmann, New Delhi.
4. www.google.com/wikipedia.com
5. www.wikipedia.com